# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़

मिसल न0 32 / प्रा0पत्र / 21

सरकार जर्ये पुलिस थाना गंगधार,

बनाम

बनेसिंह वगै0

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 220 / 2021 थाना गंगधार
जुर्म अन्तर्गत धारा 5,6,8 व 9 राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रतन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995
प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम वास्ते सुपुर्दगी वाहन पिकअप एम0पी0–39 जी 3329

उपस्थितः– श्री अविनाश गुप्ता अभिभाषक प्रार्थी
सहायक निदेशक अभियोजन

–: निर्णय :– दिनांकः 29/11/2021

यह प्रा0पत्र प्रार्थी रामस्वरूप आ0 भंवरलाल तंवर नि0 बांकिया पुरा जिला राजगढ मध्य प्रदेश द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया है अपने प्रा0पत्र में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना गंगधार द्वारा उपरोक्त जुर्म में दिनांकः 11.09.2021 को प्रार्थी का एक वाहन एम0पी0 39 जी 3329 जप्त किया गया है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। प्रार्थी का उक्त वाहन गलत तौर पर झूठे आधार पर जप्त किया गया है। प्रार्थी के वाहन से उक्त पशुधन का मात्र किराया लेकर परिवहन किया जा रहा था उन्हे किसी तरह ठूस–ठूस कर नही भरा हुआ था तथा उनके हवा आने जाने भोजन जल आदि की यथोचित जगह थी । प्रार्थी का पशुधन से कोई लेना देना नही है पशुधन रवन्ने के आधार पर खरीदे गये थे । पुलिस को उक्त वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नही है। वाहन पुलिस थाना गंगधार में अत्यधिक समय तक खडा रहता है तो प्रार्थी के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। प्रार्थी की सुपुर्दगी में वाहन दिया जाने पर सभी शर्तों की पालना की जावगी। वाहन को सुपुर्दगी हेतु निवेदन किया गया है।

प्रा0पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अधीनस्थ पुलिस थाने से सम्बन्धित केस डायरी तलब की गई। पुलिस रिपोर्ट अनुसार अनुसंधान से व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाहन एम0पी0 39 जी 3329 के मालिक रामस्वरूप आ0 भंवरलाल तंवर नि0 बांकिया पुरा जिला राजगढ मध्य प्रदेश के वाहन को अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8व 9 राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रतन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत प्रमाणित होने पर जब्त किया गया है। साथ ही सभी गोवशं को ठूस–ठूस कर भरा होना तथा पीक अप को बरसाती से चारों और से ढक कर रस्से बन्धे होना जिससे गौवशं का दम घुटना भूख प्यास से व्याकूल होना अकंन किया गया है।

बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि प्रार्थी का एक वाहन एम0पी0 39 जी 3329 को पुलिस द्वारा दिनांकः 11.09.2021 को जप्त किया गया है । प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। अधिनियम की धारा 6(क)में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन की सुपुर्दगी प्रार्थी को दी जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन से कोई अवैध गोवशं का परिवहन नही किया जा रहा था प्रार्थी द्वारा ट्रांजिट परमिट व रवन्ना लेकर गोंवश का परिवहन किया जा रहा था प्रा0पत्र स्वीकार कर जप्त शुदा ट्रक सुपुर्दगी में दिया जावे।

जिला कलक्टर
झालावाड़

इस पर सरकार की और से सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा व्यक्त किया गया कि प्रार्थी द्वारा गोवंश का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था । राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(सशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6 क के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश देने में सक्षम हैं। जप्त ट्रक को अधिहरण किया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस रिपोर्ट अनुसार सभी गोवशं को ठूस–ठूस कर भरा होना तथा पीक अप को बरसाती से चारों और से ढक कर रस्से बन्धे होना जिससे गौवशं का दम घुटना भूख प्यास से व्याकूल होना अकंन किया गया है। इसी कारण से अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रतन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत अपराध होना दर्शित है। प्रार्थी द्वारा पशु खरीद की रसीद तो प्रस्तुत की गई है किन्तु सक्षम अधिकारी की एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की कोई अनुमति के दस्तावेज पेश नही किये है। अतः गोवशं को निर्दयापूर्वक अवैध परिवहन व बिना सक्षम स्वीकृति के परिवहन की पुष्ठी होती है, प्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के अवैध रूप से एक ही पिकअप में ठसाठस भरकर 06 गोवशं को ले जाया जाना राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995(धारा 5,6,8,9) की पुष्टी करता है।

अतः विधिक प्रावधानों के मध्यनजर प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। पुलिस थाना गंगधार द्वारा प्र.सू.रि.स. 220/2021 में जप्त वाहन पिकअप एम पी 39 जी 3329 के अधिहरण के आदेश दिये जाते हैं, इसी क्रम में न्यायहित में वाहन मालिक को वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहन के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माने के संदाय करने का भी विकल्प दिया जाता है। थानाधिकारी थाना गंगधार को जप्त वाहन पिकअप एम0पी0 39 जी0 3329 को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन में बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज या प्रमाणित दस्तावेज थानाधिकारी थाना गंगधार के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे । राशि जमा नही कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार जर्ये निलामी निस्तारण किया जावे। थानाधिकारी थाना गंगधार को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 29/11/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़